

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
कार्मिक(क-2) विभाग ।

अत्यावश्यक
—————

XXXX

प० 15(1)कार्मिक/क-2/75

दिनांक 6 अप्रैल 1978

:- आदेश :-
—————

विषय:- अधिवाषिणी आयु प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति ।

XXX

उपर्युक्त विषय में इस विभाग द्वारा प्रसारित सम्बन्धित आज्ञा दिनांक 6 जुलाई, 1977 के अधिवृत्त में, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनहित में किसे अधिकारी/कर्मचारी को उसकी अधिवाषिणी आयु के बाद सेवा में वृद्धि कर अथवा पुनर्नियुक्ति कर रखा जा सकेगा । इस प्रकार की सेवा वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति के लिये मंत्रिमण्डल को पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

(अरुण कुमार)

विशिष्ट शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1) सचिव, राज मण्डल/मुख्य मंत्री ।
- 2) निजी सचिव; सम्बन्धित मंत्री/राज्यमंत्री/मुख्य सचिव ।
- 3) सम्बन्धित शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव
- 4) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (जिलाधारी सहित)
- 5) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।

कृ०प०उ०(2)

(2)

- 6) सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर वी मंत्रिमण्डल वी असा. सं. 141/78 दिनांक 28-3-78 के एडमि. में ।
- 7) सहायक शासन सचिव, टारिफ एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार -7) अतिरिक्त 7 प्रतियां रहित ।
- 8) निदेशक, जन संपर्क कार्यालय जयपुर वी व्यापक प्रकार हेतु ।
- 9) सचिवालय के समस्त विभाग/ग्रुप/प्रदोष्ठ ।

(उप सचिव)
उप शासन सचिव ।

प्रतिलिपि निम्न को की प्रेषित है :-

- 1) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर ।
- 2) सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
- 3) सचिव, राजस्थान लोकसुधार सचिवालय जयपुर ।
- 4) पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, जयपुर ।
- 5) पंजीयक, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलट ट्रिब्यूनल, जयपुर ।
- 6) प्राधिकृत सरकारी प्रतिनिधि, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलट ट्रिब्यूनल, जयपुर ।

उप शासन सचिव ।

निजि सहायक, विशिष्ट सचिव/शासन उप सचिव/जहाजक शासन सचिव
रजित पत्रावलि